रजिस्टर्ड/कोर्टकेस/अतिमहत्वपूर्ण/परिपत्र

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक, मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– /स्था0श्रा0/कोर्टकेस/सा0पत्रा–5/परिपत्र दिनांक– 04.01., 2020

विषय– मा0 न्यायालयों में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों की पत्रावली पर स्वीकृति हेतु सुनवाई से 02 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या 58मु0स0/सत्रह–म–2020–6–9(49)/2017 दिनांक 10.12.2020 एवं साथ में संलग्न मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 783/पी0एस0ए0ए0एस0/2020 दिनांक 06.12.2020 एवं प्रमुख सचिव न्याय एवं विधिक परामर्शी उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 14/2020/445/सात–न्याय–अनु0प्रको0/2020–01/2008 दिनांक 03.12.2020 (छाया प्रतियां संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने का कष्ट करें।

शासन के उपरोक्त पत्रों के माध्यम से मा0 न्यायालयों में जिन याचिकाओं में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने होते हैं उनसे संबंधित पत्रावलियां शासन स्तर पर मात्र 01 अथवा 02 दिन पूर्व प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरणों के समयक परीक्षण व निर्णय हेतु पर्याप्त समय नहीं मिलने एवं इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा भी उक्त स्थिति पर असंतोष व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत मा0 न्यायालयों में प्रतिशपथ पत्र से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां शासन स्तर पर नियत तिथि से 02 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें शिथिलता के कारण अनावश्यक विलम्ब होने पर इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की स्थिति से अवगत कराया गया है।

उक्त के साथ ही शासन के संलग्न पत्र दिनांक 03.12.2020 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में समयान्तर्गत रिट याचिका/अपील दाखिल किये जाने, किसी कारण से रिट याचिका/अपील योजित किये जाने में विलम्ब होने पर दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का प्रायिक स्पष्टीकरण अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ यह चेतावनी भी दि गयी है कि विलम्ब से रिट याचिका / अपील दाखिल किये जाने पर खारिज/निरस्त होने की दशा में प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होगा। उक्त के साथ ही प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से मानिटरिंग किये जाने एवं पारित निर्णयों का समयान्तर्गत अनुपालन भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रश्नगत संदर्भ में पूर्व में भी शासन एवं निदेशालय स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर उनका कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता/विलम्ब के कारण शासन के समक्ष किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी उक्तानुसार अनुपालन हेतु अवगत कराते हुये निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्याः– 1च /स्था0श्रा0/कोर्ट केस दिनॉक –उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगणों को उक्त संदर्भ में उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4/1/2021

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

संख्या–58मु0स0 / सत्रह–म–2020–6–9(49) / 2017

प्रेषक,

एस0एम0ए0रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

2– प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0
लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0,
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2020

विषय– मा0 न्यायालयों में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों की पत्रावली पर स्वीकृति हेतु सुनवाई से 02 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–783 / पीएसएमएस / 2020 दिनांक 06.12.2020, प्रमुख सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी के पत्र संख्या–14 / 2020 / 445 / सात–न्याय–अनु0प्रको0 / 2020–01 / 2008 दिनांक 03.12.2020,अपर मुख्य सचिव, आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, के पत्र संख्या–1297 / 78–2–2020–118 आई0टी0 / 2017 दिनांक 23.11.2020 एवं विशेष सचिव, न्याय विभाग अनुश्रवण प्रकोष्ठ के पत्रसंख्या–348(2) / सात–न्याय–अनु0प्रको0 / 2020 दिनांक 24.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 न्यायालय में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह पूर्व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने, मा0 न्यायालयों में समयान्तर्गत रिट याचिकाए / अपील आदि योजित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित निर्देशों / बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एम0ए0रिजवी)
विशेष सचिव।

DD(HQ)/DD(P)/DD(सह0)

Ad.S.O(ATU)

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0
10-12-20

11-12-2020

मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्याः 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283

email- csup@nic.in

संख्याः 783/पीएसएमएस/2020

दिनाँक : 06 दिसम्बर, 2020

सभस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कतिपय प्रकरणों, जिनमें मा0 न्यायालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने होते हैं, उनमें प्रायः यह देखा गया है कि पत्रावली प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने की तिथि से मात्र 01 अथवा 02 दिन पूर्व प्रस्तुत की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण प्रकरणों में भी मा0 न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों का सम्यक परीक्षण करने व निर्णय लेने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी उक्त स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

कृपया सुनिश्चित करें कि मा0 न्यायालयों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने से सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावली नियत तिथि से एक सप्ताह पूर्व अवश्य प्रस्तुत की जाए तथा यदि उक्त में शिथिलता के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है तो उक्त हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 14 /2020/445 सात-न्याय-अनु0प्र0को0/2020-01/2008

प्रेषक,

श्री जे0पी0सिंह-।।
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

अनुप्रवण प्रकोष्ठ(न्याय विभाग) लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2020

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच में योजित रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के विरुद्ध समयान्तर्गत रिट याचिका/ अपील योजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय / मा0 उच्चतम न्यायालय में राजकीय कामिकों द्वारा सेवा संबंधी योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालयों के पारित निर्णय/आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शासन की छवि धूमिल होती है तथा मा0 न्यायालयों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके विरुद्ध विपरीत आदेश पारित होने की प्रबल सम्भावना रहती है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय / मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत रिट याचिकाये/अपील दाखिल किये जाने हेतु भविष्य में प्रभावी तौर से निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(1) प्रशासकीय विभाग मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में विलम्ब से रिट याचिकाये दाखिल न की जाय बल्कि समयान्तर्गत रिट याचिका/अपील दाखिल किया जाए।

(2) यदि किसी कारण से रिट याचिका/अपील योजित किये जाने में विलम्ब है तो दिन- प्रतिदिन के विलम्ब का प्राफिक स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

(3) विलम्ब से रिट याचिका/अपील दाखिल किये जाने पर खारिज/निरस्त होने की दशा में प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होगा।

(4) समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित की जाय कि नियमित रूप से विभाग में रिट याचिका/अपील योजित किये जाने से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के मानिटरिंग हो सके और पारित निर्णयों का समयान्तर्गत अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव
दुग्ध विकास, मत्स्य,
समन्वय, पशुधन विभाग
उ0प्र0 शासन

जे0पी0सिंह-।।
प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या- 14 /2020/445 (1) /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2020-01/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2- महाधिवक्ता, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन।
4- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ बेंच।
6- न्याय विभाग के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश उपाध्याय)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।